रजिस्टर्ड डाक द्वारा

संख्याः 10/2020/687 प्रो०/51-2020-14(04)/2020

प्रेषक,

अजय कुमार ओझा,
अनु सचिव,
मुख्यमंत्री एवं प्रोटोकाल,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकार
वाराणसी।

मुख्यमंत्री कार्यालय (प्रोटोकाल अनुभाग) लखनऊः दिनांक 23 जून, 2019

विषयः राज्य अतिथियों के सेवा-सत्कार पर व्यय हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 159/प्रोटोकाल-वि०/2020 दिनांक 19 फरवरी, 2020 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य अतिथियों के परिवहन से संबंधित निम्नलिखित देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रूपये 4,79,008=00 (रूपये चार लाख उन्यासी हजार आठ मात्र) आवंटित करते हुए उसे व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है ।

क्रम सं०	मा० राज्य अतिथि का नाम/पदनाम/यात्रा की तिथि /वाहन संख्या/देयक संख्या/दिनांक	धनराशि
1-	मा० न्यायमूर्ति श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 06-12-2019 से 07-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1076	रू० 645=00
2-	श्री जी० किशन रेड्डी, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री गृह, भारत, सरकार। दिनांक 31-12-2019 से 01-01-2020, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 2029	रू० 1,422=00
3-	डा० प्रणव पाण्डया, प्रमुख गायत्री परिवार। दिनांक 27-12-2019 से 28-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-2070, देयक संख्याः 1539, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 2016	रू० 7,822=00 रू० 1,110=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4-	मा० न्यायमूर्ति श्री राजीव शर्मा, जज, मा० उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा। दिनांक 24-12-2019 से 25-12-2019, दिनांक 26-12-2019 से 27-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 2009 दिनांक 24-12-2019 से 25-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 ई०टी०-5010, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/173, दिनांक 31-12-2019 दिनांक 26-12-2019 से 27-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/174, दिनांक 31-12-2019	रू० 570=00 रू० 570=00 रू० 10,952=00 रू० 13,094=00
5-	श्री प्रकाश चन्द्र जायसवाल, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 21-12-2019 से 24-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 2005	रू० 2,120=00
6-	श्री आरिफ मोहम्मद खान, मा० राज्यपाल, केरल। दिनांक 21-12-2019 से 22-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1098 वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6576, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/170, दिनांक 31-12-2019	रू० 2,177=00 रू० 35,578=00
7-	श्री वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 18-12-2019 से 19-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-0202, देयक संख्याः 1536, दिनांक 04-01-2020	रू० 7,822=00
8-	श्री न्यायमूर्ति श्री चन्द्रमौली कुमार प्रसाद, फार्मर जज, सुप्रीम कोर्ट, भारत एवं चेयरमैन प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया। दिनांक 18-12-2019 से 19-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1095	रू० 815=00
9-	श्री किरण रिजीजू, मा० राज्य मंत्री, युवा मामले, खेल एवं अल्पसंख्यक मामले, भारत सरकार। दिनांक 18-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1535, दिनांक 04-01-2020	रू० 3,780=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 15-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1091, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-5678, देयक संख्याः 1534, दिनांक 04-01-2020	रू० 1,560=00 रू० 21,768=00
11-	मा० न्यायमूर्ति श्री सुरेन्द्र गुप्ता, जज, मा० उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा। दिनांक 07-12-2019 से 09-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1533, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1073	रू० 11,864=00 रू० 2,570=00
12-	श्री अजय नारायण झा, मा० सदस्य, 15वाँ वित्त आयोग, भारत सरकार। दिनांक 03-12-2019 से 04-12-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, देयक संख्याः 1532, दिनांक 04-01-2020	रू० 7,822=00
13-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 30-11-2019 से 02-12-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1091, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-0100, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-9191, देयक संख्याः 1531, दिनांक 04-01-2020	रू० 33,992=00
14-	मा० न्यायमूर्ति श्री अशोक भूषण, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, भारत। दिनांक 27-11-2019 से 28-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1528, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1045	रू० 7,822=00 रू० 1,119=00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

15-	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 26-11-2019 से 27-11-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1091, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-9898, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-4567, देयक संख्याः 1527, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1033	रू० 15,644=00 रू० 362=00
16-	श्री रामेश्वर तेली, मा० राज्य मंत्री, फूड प्रोसेसिंग उद्योग, भारत सरकार। दिनांक 26-11-2019 से 27-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-9191, देयक संख्याः 1526, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1032	रू० 7,822=00 रू० 1,119=00
17-	मा० न्यायमूर्ति श्री अरविन्द श्रीवास्तव, जज, मा० उच्च न्यायालय, पटना। दिनांक 23-11-2019 से 26-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9329, देयक संख्याः 1525, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 1023	रू० 15,906=00 रू० 855=00
18-	श्री इन्द्रजीत सिंह, सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेन्ट ऑफ नार्थ-ईस्टर्न, भारत सरकार। दिनांक 23-11-2019 से 24-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 डी०टी०-9090, देयक संख्याः 1524, दिनांक 04-01-2020	रू० 7,822=00
19-	डा० जितेन्द्र सिंह, मा० यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट नार्थ-ईस्टर्न रिजन, प्राईमिनिस्टर ऑफिस, भारत सरकार। दिनांक 23-11-2019 से 24-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 इ०टी०-5011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/152, दिनांक 30-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 368	रू० 16,023=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

20-	श्री अश्वनी कुमार चौबे, मा० स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 17-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 इ०टी०-5011, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/150, दिनांक 30-11-2019	रू० 9,555=00
21-	मा० न्यायमूर्ति श्री बी०आर० गवई, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, भारत। दिनांक 10-11-2019 से 12-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-9494, देयक संख्याः 1522, दिनांक 04-01-2020	रू० 11,864=00
22	मा० न्यायमूर्ति श्री विनीत सरन, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, भारत। दिनांक 10-11-2019 से 12-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 इ०टी०-2070, देयक संख्याः 1523, दिनांक 04-01-2020	रू० 11,864=00
23	मा० न्यायमूर्ति श्री कृष्ण मुरारी, जज, मा० उच्चतम न्यायालय, भारत। दिनांक 09-11-2019 से 11-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 जी०टी०-9090, देयक संख्याः 1521, दिनांक 04-01-2020 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 970	रू० 11,864=00 रू० 1,318=00
24	श्री रमेश पोखरियाल निशंक, मा० केन्द्रीय मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 08-11-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-5678, देयक संख्याः 1520, दिनांक 04-01-2020	रू० 3,780=00
25	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 29-10-2019 से 31-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-6464, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-9494, देयक संख्याः 1347, दिनांक 05-11-2019	रू० 38,452=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	श्री वीणा भटनागर, मा० मंत्री एवं डिप्टी स्पीकर, फिजी। दिनांक 27-10-2019 से 28-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-9090, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-0100, देयक संख्याः 1346, दिनांक 05-11-2019	रू० 15,644=00
27	श्री राजीव रंजन मिश्रा, आई०ए०एस०, डी०जी०, एम०एम०जी०सी० जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 24-10-2019 से 25-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एच०टी०-3200, देयक संख्याः 1345, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,822=00
28	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 24-10-2019 से 25-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1344, दिनांक 05-11-2019 खान पान से संबंधित देयक संख्याः 938,	रू० 31,672=00 रू० 740=00
29	श्रीमती रेणुका सिंह, मा० केन्द्रीय राज्य मंत्री, जनजाति मामले, भारत सरकार दिनांक 21-10-2019, खान पान से संबंधित देयक संख्याः 930	रू० 490=00
30	डा० महेन्द्र नाथ पाण्डेय, मा० केन्द्रीय मंत्री, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 16-10-2019 से 17-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-8566, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, देयक संख्याः 1342, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,560=00
31	श्री अमित शाह, मा० केन्द्रीय गृह मंत्री, भारत सरकार। दिनांक 17-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-2070, वाहन संख्याः यू०पी०-65 एफ०टी०-9001, देयक संख्याः 1343, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,560=00
32	श्री गंगा प्रसाद जी, मा० राज्यपाल, सिक्किम, भारत सरकार। दिनांक 10-10-2019 से 11-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एन०-6573, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/133, दिनांक 31-10-2019	रू० 17,970=00

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

33	श्री आचार्य देवब्रत जी, मा० राज्यपाल गुजरात। दिनांक 10-10-2019 से 11-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 के०एन०-9011, वाहन संख्याः यू०पी०-32 जे०एच०-6576, देयक संख्याः वीएनएस/टैक्सी/134, दिनांक 31-10-2019	रू० 50,523=00
34	श्री रवि कपूर, आई०ए०एस०, सचिव, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार। दिनांक 10-10-2019 से 11-10-2019, वाहन संख्याः यू०पी०-32 इ०टी०-1441, देयक संख्याः 1341, दिनांक 05-11-2019	रू० 7,822=00
	(रूपये चार लाख उन्यासी हजार आठ मात्र) कुल योग	रू० 4,79,008=00

2- उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण की सूचना, संबंधित कोषागार की डी०डी०ओ० रिकान्सिलेशन स्टेटमेंट की प्रमाणित प्रति एवं भुगतान का व्यय विवरण निर्धारित प्रपत्र-1 पर शासन को एक सप्ताह के अन्दर अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये। उक्त धनराशि के आहरण से पूर्व यह भी अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाये कि देयक का भुगतान दुबारा नहीं किया जा रहा है। उक्त से सम्बन्धित देयक मूलरूप में वापस किये जा रहे हैं।

3- उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -84 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक-'2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापनाएं-22-आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि के नामें डाला जायेगा।

संलग्नकः 34 देयक मूलरूप में

भवदीय,
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

संख्याः 10/2020/687(1) प्रो०/51-2020-14(04)/2020, तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश (प्रथम), इलाहाबाद
2. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5।
3. कोषाधिकारी, वाराणसी।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. वित्तीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
6. क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, गोरखपुर।
7. ट्रेवैल्स किंग आशू, यूजी-42, पीसीएफ प्लाजा, नादेसर, वाराणसी।
8. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से
अजय कुमार ओझा
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in